कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर

कमांक : 60 दिनांक : 30-7-26

कार्यालय–आदेश

(रिमाण्ड ड्यूटी/धारा 196 बी.एन.एस.एस. ड्यूटी माह अगस्त, 2026)

मैं रविन्द्र प्रताप सैनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) (धारा 15 (2) द.प्र.सं.) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय पर पदस्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित करता हूं कि निम्नलिखित तालिका के कॉलम नं 02 में अंकित माह अगस्त, 2026 के राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर जिला न्याय क्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य, मृत्युकालिक कथन धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) कॉलम सं. 03 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम नं. 04 में अंकित है, करेंगे :–

क्रम सं.	*दिनांक*	न्यायालय का नाम	नाम अधिकारी/मोबाईल नं. श्री/श्रीमती/सुश्री
1	2	3	4.
1	02–08–2026 रविवार	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., चौमू जिला जयपुर।	दौलत मीणा मोबा. 9782000404
2	08–08–2026 द्वितीय शनिवार	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., कम–3, जयपुर जिला, जयपुर।	सुरजीत सिंह, मोबा. 8824327838
3	09–08–2026 रविवार	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., कम–3, जयपुर जिला, जयपुर।	सुरजीत सिंह, मोबा. 8824327838
4	15–08–2026 स्वतंत्रता दिवस	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., कम–1, जयपुर जिला, जयपुर।	सिद्धार्थ भारद्वाज, मो. 8959855960
5	16–08–2026 रविवार	जे.एम. चौमू जिला जयपुर।	विकास चौधरी, मो. 9672909999
6	22–08–2026 शनिवार	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., कम–2, जयपुर जिला, जयपुर।	पूनम अग्रवाल, मो. 8005599646
7	23–08–2026 रविवार	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., कम–2, जयपुर जिला, जयपुर।	पूनम अग्रवाल, मो. 8005599646
8	26–08–2026 बाराबफात	ए.सी.जे.एम. (एस.पी.ई. कैसेज) जयपुर जिला जयपुर।	जया अग्रवाल, मोबा. 9509941750
9	28–08–2026 रक्षा बंधन	जे.एम. जयपुर जिला, जयपुर।	हुमा कोहरी, मोबा. 8003700000
10	30–08–2026 रविवार	ए.सी.जे. एण्ड जे.एम., चौमू जिला जयपुर।	दौलत मीणा मोबा. 9782000404

नोट :–

1. अवकाश के दिवस यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा लिंक न्यायालय के मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो उन्हें अपने परिक्षेत्र से संबंधित रिमाण्ड देने एवं अन्य कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
2. न्यायालय के समय न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक रहेगा। अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का स्थान व अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।
3. उक्त माह में उपरोक्तानुसार ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अत्यावश्यक कारणों से अवकाश पर रहने पर/स्थानांतरण होने से पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने पर/आकस्मिक रूप से अवकाश घोषित होने पर/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा कार्य स्थगित किये जाने पर आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड संबंधी कार्य), मृत्युकालिक कथन, धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) की रिजर्व रिमाण्ड ड्यूटी हेतु दिनांक 01.08.26 से 16.08.26 हेतु **अनिता मीणा, अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर** को एवं दि. 17.08.26 से 31.08.26 की अवधि हेतु **श्री रेणू कुमार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट जमवारामगढ जिला जयपुर** को अधिकृत किया जाता है। रिजर्व ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 188 बीएनएसएस (धारा 178 द.प्र.सं.) के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य भी निष्पादित किया जावेगा। **इसके लिये पृथक से आदेश नहीं निकाला जायेगा।**
4. कॉलम सं. 4 में अंकित पीठासीन अधिकारी के द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वे अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय में प्रेषित कर स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
5. उपरोक्त नामित अधिकारी अवकाश दिवस से पूर्व के कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से अवकाश दिवस एवं तत्पश्चात् आगामी कार्य दिवस के न्यायालय समय पूर्व तक आवश्यक फौजदारी कार्य का निष्पादन

करेंगे ।

6. अवकाशकालीन न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान ही मुलजिम न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश किये जायेंगे। मुलजिम को न्यायालय में निर्धारित समय में पेश नहीं कर निवास पर पेश करने पर संबंधित पुलिस कार्मिक/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण के लिखित आदेश/अनुमति व मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति पश्चात् ही मुलजिम को अधिकारी के निवास पर पेश किया जावेगा, निवास पर पेश करते समय मुलजिम को सीधे निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

7. रिमाण्ड न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय के अधिकतम एक लिपिक ग्रेड–II एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जावे, यदि रिमाण्ड ड्यूटी के समय कार्य की अधिकता रहती है तथा उपरोक्त एक लिपिक ग्रेड II व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सुचारू रूप से कार्य सम्पादन नहीं हो रहा हो तो पीठासीन अधिकारी रीडर अथवा आशुलिपिक में से किसी एक को अथवा दोनों को कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सकेंगे।

8. किसी कार्य दिवस में आधा दिवस अवकाश पर रहने वाले अधिकारी को ही उस दिन धारा 196 बीएनएसएस (धारा 176 द.प्र.सं.) के तहत प्राप्त जांच कार्य सुपुर्द किया जाना माना जायेगा। उक्त आधे दिवस अवकाश की अवधि में केवल अत्यावश्यक कार्य ही आगामी क्रम में अंकित न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा। शेष जांच एवं अन्य मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य मूल रूप से अधिकृत अधिकारी द्वारा ही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

9. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जयपुर ग्रामीण न्याय क्षेत्र की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन/रिमाण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी मोनिका मीणा, जुगविन्दर बीर कौर, श्रेया शर्मा एवं कृष्णा गुर्जर रिमाण्ड ड्यूटी में जे.सी./पी. सी. रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यो का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जयपुर मुख्यालय पर खुलने वाले न्यायालयों में उपस्थित होकर, प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया जाता है।

(रविन्द्र प्रताप सैनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर

कमांक : 545 - 46 दिनांक : 30-7-26

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर को आदर सहित ।
2. समस्त श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर। **(जरिये E-Mail)**
4. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। **(जरिये E-Mail)**
5. समस्त अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
7. समस्त अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर न्यायक्षेत्र। **(जरिये E-Mail)**
8. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (मोबाईल), क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर। **(जरिये E-Mail)**
9. प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारीगण
10. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर जिला, जयपुर को इस लेख के साथ कि संबंधित दिनांक को न्यायालय में पी.ओ./ए.पी.ओ. को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। **(जरिये E-Mail)**
11. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जयपुर **(जरिये E-Mail)**/नोटिस बोर्ड/आदेश पत्रावली।

(रविन्द्र प्रताप सैनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर जिला, जयपुर